भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 5146

दिनांक 24 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

एनएलएम-उद्यमी मित्र पोर्टल

5146. श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) अपने उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के अंतर्गत पशुधन आधारित उद्यमों के लिए 50 लाख रुपये तक की 50 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने एनएलएम-उद्यमी मित्र पोर्टल के माध्यम से एनएलएम-ईडीपी के अंतर्गत नए आवेदनों को स्वीकार करना स्थगित कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) एनएलएम-उद्यमी मित्र पोर्टल के माध्यम से एनएलएम-ईडीपी के अंतर्गत नए आवेदनों को स्वीकार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत आज की तिथि तक प्राप्त, अनुमोदित, लंबित और अस्वीकृत आवेदनों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) के लिए स्वीकृत और जारी की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों, महिलाओं और युवाओं, जो पशुधन आधारित उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, के लिए पारदर्शिता, आवेदनों के समयबद्ध रूप से निपटारा करने और ग्रामीण उद्यमियों को निर्बाध सहायता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के अंतर्गत, उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) के तहत पशुधन आधारित उद्यमों को निम्नलिखित कार्यकलापों और सब्सिडी सीमा के लिए 50 लाख रुपये तक की 50 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है:

- पोल्ट्री परियोजना: 25 लाख रुपये तक
- भेड़ और बकरी पालन: 10 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक
- सूअर पालन: 15 लाख रुपये से 30 लाख रुपये तक
- चारा परियोजनाएं/चारा बीज प्रसंस्करण और ग्रेडिंग अवसंरचना इकाइयां: 50 लाख रुपये तक
- घोड़ा/ऊंट/गधा प्रजनन: 3 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक

(ख) और (ग) भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने दिनांक 8 जुलाई 2025 से NLM उद्यमी मित्र पोर्टल से NLM- EDP के अंतर्गत नए आवेदन स्वीकृत करना अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। 15वें वित्त आयोग चक्र के समापन को ध्यान में रखते हुए, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार वर्तमान में चल रही/लंबित परियोजनाओं के समय पर पूरा करने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है ताकि दूसरी किस्त जारी की जा सके। NLM- EDP के तहत नई परियोजनाओं के अनुमोदन पर विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि लाभार्थियों के लिए दिनांक 31.03.2026 तक ऐसी परियोजनाओं को पूरा करना संभव नहीं होगा। इसलिए, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार ने पोर्टल न खोलने का निर्णय लिया है।

(घ) अब तक NLM-EDP के अंतर्गत प्राप्त, अनुमोदित, लंबित और अस्वीकृत आवेदनों की राज्यवार कुल संख्या अनुबंध- I में दी गई है।

(ङ) सब्सिडी सीधे लाभार्थी को जारी की जाती है। अनुमोदित और जारी की गई सब्सिडी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार राशि का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(च) NLM-EDP कार्यकलाप के अंतर्गत, आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, प्रस्तावों को सुचारू रूप से जमा करने, ट्रैक करने और अनुमोदन सुनिश्चित करने के लिए NLM-उद्यमी मित्र पोर्टल स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD), भारत सरकार ने योजना के अंतर्गत पारदर्शिता को बढ़ावा देने, कार्यकुशलता बढ़ाने और परियोजनाओं की रियल-टाईम निगरानी करने के लिए एक उन्नत डैशबोर्ड तैयार किया है। उद्यमियों की सहायता और ऑनलाइन फॉर्म जमा करने में सहायता प्रदान करने और संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए, राज्य में राष्ट्रीय पशुधन मिशन हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। साथ ही, बैंकों में लंबित आवेदनों को ट्रैक करने के लिए केंद्रीय स्तरीय बैंकर्स समिति (CLBC) की स्थापना की गई है।

अनुबंध ।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान किए गए और निपटाए गए दावों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त आवेदन	अनुमोदित आवेदन	अस्वीकृत/ निष्क्रिय	विभिन्न स्तरों पर लंबित आवेदन
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	0	0	3
2	आंध्र प्रदेश	3708	293	0	3415
3	अरुणाचल प्रदेश	838	46	0	792
4	असम	851	40	1	810
5	बिहार	343	2	1	340
6	छत्तीसगढ़	387	27	0	360
7	दिल्ली	1	0	0	1
8	गोवा	1	0	0	1
9	गुजरात	129	6	0	123
10	हरियाणा	566	21	1	544
11	हिमाचल प्रदेश	114	17	0	97
12	जम्मू और कश्मीर	658	27	0	631
13	झारखंड	126	1	0	125
14	कर्नाटक	13213	1133	8	12072
15	केरल	169	15	0	154
16	लद्दाख	10	0	0	10
17	मध्य प्रदेश	5588	481	1	5106
18	महाराष्ट्र	10589	366	4	10219
19	मणिपुर	98	6	0	92
20	मेघालय	132	0	0	132
21	मिजोरम	228	78	1	149
22	नागालैंड	361	77	2	282
23	ओडिशा	40	3	0	37
24	पुदुचेरी	10	1	0	9
25	पंजाब	868	21	7	840
26	राजस्थान	5725	170	0	5555
27	सिक्किम	76	9	0	67
28	तमिलनाडु	2287	181	1	2105
29	तेलंगाना	3977	492	0	3485
30	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1	0	0	1
31	त्रिपुरा	314	26	0	288
32	उत्तर प्रदेश	3874	221	5	3648
33	उत्तराखंड	418	70	2	346
34	पश्चिम बंगाल	271	13	0	258
कुल योग		**55974**	**3843**	**34**	**52097**

अनुबंध II

अब तक अनुमोदित सब्सिडी और जारी सब्सिडी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित सब्सिडी (करोड़ रु. में)	जारी सब्सिडी (करोड़ रु. में)
1	आंध्र प्रदेश	118.15	68.19
2	अरुणाचल प्रदेश	12.99	9.17
3	असम	11.09	4.66
4	बिहार	0.28	0.14
5	छत्तीसगढ़	6.19	2.73
6	गुजरात	1.4	0.3
7	हरियाणा	6.29	1.77
8	हिमाचल प्रदेश	3.9	1.64
9	जम्मू और कश्मीर	4.8	2.28
10	झारखंड	0.5	0.25
11	कर्नाटक	379.1	174.61
12	केरल	3.88	2.29
13	मध्य प्रदेश	164.61	81.81
14	महाराष्ट्र	101.9	51.4
15	मणिपुर	0.6	0
16	मिजोरम	18.54	13.78
17	नागालैंड	17.1	13.02
18	ओडिशा	1.33	0.6
19	पुदुचेरी	0.3	0
20	पंजाब	5.88	3.34
21	राजस्थान	38.73	20.77
22	सिक्किम	2.42	1.13
23	तमिलनाडु	51.68	26.82
24	तेलंगाना	211.18	95.53
25	त्रिपुरा	7.29	4.23
26	उत्तर प्रदेश	47.54	23.47
27	उत्तराखंड	12.95	8.52
28	पश्चिम बंगाल	3.06	1.42
कुल योग		**1233.69**	**613.87**